उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्याः 305002/XII(1)/2025/86(15)2013/ई–68985
देहरादूनः दिनांकः09 जून, 2025

:: अधिसूचना ::

वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) का कार्यकाल समाप्त होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम–2016 की धारा–130(6) में उपबन्धित व्यवस्था के अंतर्गत शासन की अधिसूचना क्रमशः संख्या–256316/XII(1)/2024–86(15)/2013/ई–68985 दिनांक 26.11.2024 एवं संख्या–260830 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा **ग्राम पंचायतों**, अधिसूचना संख्या–256318/XII(1)/2024–86(15)/2013/ई–68985, दिनांक 26.11.2024 एवं संख्या–260829 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा **क्षेत्र पंचायतों** एवं अधिसूचना संख्या–257503/XII(1)/2024–86(15)/2013/ई–68985, दिनांक 30.11.2024 के द्वारा **जिला पंचायतों** के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नवीन पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासकों को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है।

2. प्रदेश की पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में उक्तानुसार नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में क्रमशः दिनांक 27.05.2025, दिनांक 29.05.2025 एवं दिनांक 01.06.2025 को समाप्त हो चुका है एवं अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, उपरोक्त पैरा–1 में वर्णित प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य नहीं हो सका है।

3. ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में प्रदेश में माह जुलाई, 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) प्रक्रिया सम्पन्न होने तक/नवीन पंचायतों के गठन तक की तिथि तक, अथवा 31 जुलाई, 2025 (जो भी पहले हो) तक कार्यहित, जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन किये जाने हेतु प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में, उपरोक्त पैरा–1 में वर्णित प्रशासकों के स्थान पर निम्नवत् अधिकारियों को अधिकृत किया जाता हैः–

(क) जिला पंचायतों में: संबंधित जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
(ख) क्षेत्र पंचायतों में: संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में)
(ग) ग्राम पंचायतों में: संबंधित विकासखण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)

4. प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्तर–1 में उल्लिखित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं में निहित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

File No. PS1-ELEC/1/1/2024-XII-1-Panchayati Raj Department (Computer No. 68985)
Generated from eOffice by PRAMOD KUMAR BIJLWAN, RO-Panchayati Raj Section 1-PKB, REVIEW OFFICER, Panchayati Raj Department on 09/06/2025 06:16 PM

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 09-06-2025 17:57:58

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव

305002

संख्याः /XII (1)/2025–86(15)2013/68985, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, मा॰राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा॰मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, पौड़ी/नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी (जनपद हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा॰पंचायतीराज मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी (जनपद हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी (जनपद हरिद्वार को छोड़कर), जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी (जनपद हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
14. संयुक्त निदेशक, राज्य मुद्रणालय, लिथोप्रेस, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करवाकर उनकी एक–एक प्रति उपर्युक्त अंकित अधिकारियों तथा विभागों को प्रेस स्तर से आपूर्ति करने तथा मुद्रित प्रति की 100 प्रतियां इस विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव